

भाग- 5

इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरवुड कालेज आफ इंजीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के EX Post facto के अंतर्गत लखनऊ- फैजाबाद मार्ग पर किमी 0 18-19 के मध्य दांयी पटरी पर 0.063404 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/अदर्स/29655/2017)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-पी- ५/81-2-2020-800(2)/2021 दिनांक-19-02-2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)
दिनांक-

हस्ताक्षर 17/02/2021,

()

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।